IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

उत्तराखण्ड़ में स्वजल परियोजनाः एक मूल्यांकन

संतोष कुमार पंत
शोध–छात्र, इतिहास विभाग
डी. एस. बी. परिसर, नैनीताल
प्रो. गिरधर सिंह नेगी
प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
डी. एस. बी. परिसर, नैनीताल

उद्देश्य

1. जलापूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता सेवाओं में सुधार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को सतत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता लाभ उपलब्ध कराना, जिससे महिलाओं के समय की बचत होगी एवं महिलाओं के लिए आय के अवसर पैदा होंगें तथा साथ ही वर्तमान आपूर्ति आधारित सेवा वितरण तंत्र का विकल्प तैयार करना और स्वच्छता तथा लैगिकजागरूकता को बढ़ावा देना। उपयुक्त नीतिगत ढांचे तथा रणनीतिक
2. सरकार को नीति एवं योजना संबंधी आवश्यक सहयोग देकर ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र को सतत रूप प्रदान करना।

विशेषतः प्रोजेक्ट प्रमुख तत्व थेः

- सामुदायिक सहभागिता के द्वारा समुदायों में योजनाओं की पहचान, नियोजन, डिजाईन, निर्माण एवं संचालन एवं रखरखाव के लिए निर्णय–प्रक्रिया विकसित करना। इसके लिए सहयोगी संस्थाओं (NGO, समुदाय–आधारित संगठनों एवं निजी क्षेत्र फर्म) का सहयोग प्रदान करना।
- समुदाय विकास गतिविधियों के द्वारा महिलाओं की भूमिका बढ़ाना।
- संचालन एवं रख–रखाव के लिए आंशिक पूंजीगत रिकवरी एवं पूर्ण पंजीगत रिकवरी को लागू करना।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को आपस में जोड़कर जलापूर्ति को पर्यावरण स्वच्छता सेजोडना।

परियोजना के तत्वः– उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलो में इसके अंतर्गत मांग आधारित निवेश तथा नीति सुधारों को प्रारम्भ करने के लिए शुरू किया गया। इसके तीन प्रमुख तत्व थेः–

1. परियोजना प्रबंधन इकाई की मजबूती तथा संचालन इसका प्रमुख कार्य पारदर्शी मानकों का उपयोग कर सहयोगी संगठनों का चयन, समुदायों को जलापूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी योजनाओं को तैयार एवं कियान्वयन में सहयोग देना। योजनाओ को स्वीकृति एवं योजना संबंधी गतिविधियों का अनुश्रवण।
2. एकल एवं क्षेत्रीय योजनाओं के लिए जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं का चयन एवं निर्माण। एकल में अधिकतम दो गॉव तथा क्षेत्रीय में दो से अधिक गॉव थे। इसमें समुदाय विकास गतिविधियों (सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु) एवं जलापूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता योजनाओं का निर्माण शामिल था।
3. तीसरा तत्व अध्ययन तथा सैक्टर विकास था। इसके अंतर्गत उ0प्र0 सरकार को सैक्टर प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों की पहचान एवं सैक्टर हेतु उपयुक्त नीतिगत सुधार तैयार करने हेतु नीति संबंधी अध्ययन को सहयोग दिया गया। इसके अंतर्गत राज्य भर में स्वच्छता एवं लैंगिक मुद्दों पर राज्यस्तरीय जागरूकता चलायी गई और सैक्टरवार मुद्दों पर चयनित अध्ययन किया गया।

योजना की पूर्व उपयुक्ता तथा उपयुक्तता अध्ययन निर्माण से पूर्व आवश्यक था तथा इसमें पर्यावरणीय आंकलन भी शामिल होगा। इसमें प्रतिकूल पर्यावरीण प्रभावों से निपटने के लिए योजना में अनिवार्य प्रावधान किए गए।

स्वजल परियोजना (उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना) को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व बैंक से स्वीकृत 368 करोड़ रू0 के आधार पर स्वीकृत किया गया। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के 1000 गॉवों में शुरू किया गया, उत्तराखण्ड़ के 600 गॉवों में कुल 15166 गॉव मे इसे प्रारम्भ किया गया। इस परियोजना को 1996 से

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

2002 के बीच 06 वर्षो के लिए शुरू किया गया। बाद में लोन फंड को दो पृथक राज्यों के बीच बांटा गया। हरिद्वार को छोड़कर 08 जिलो में 848 योजनाओं शामिल की गयी।

बैचवार आठ जिलों में गॉव

डी0पी0एम0यू0	ग्रामों की संख्या				
	बैच 1	बैच 2	बैच 3	बैच 4	कुल
देहरादून	10	9	21	36	76
उत्तरकाशी	8	24	24	42	103
	4	19	24	51	97
चमोली	3	15	18	32	69
गढ़वाल क्षेत्र	25	67	87	165	345
अल्मोड़ा	7	23	22	57	109
भीमताल	9	22	40	59	130
बागेश्वर	4	18	25	45	92
पिथौरागढ़	24	24	25	68	141
कुमाऊँ क्षेत्र	44	87	112	229	472
उत्तरांचल	69	154	199	394	816

कुछ गॉवों की केस स्टडी के आधार पर प्राप्त विश्लेषण

1. संसाधन वैल्यूएशनः– कुल सीमित गॉवों में लोगों से वार्ता करके दो प्रमुख तत्व प्राप्त हुएः–

1. किसी एक गॉव के सभी लोगों के लिए समान मूल्य नहीं रहा। पानी की उपलब्धता के अनुसार इसका मूल्य बदलता पाया गया। पहाड़ की परिस्थितियों को देखते हुए एक समान मानक लागू करना सम्भव नहीं है। प्रत्येक स्रोत में पानी की उपलबधता तथा परिवारों की प्रत्येक पर निर्भरता अत्यधिक परिवर्तनशील है। समान **''सेवा वितरण''** इन परिस्थितियों में लगभग असंभव है।
2. मांग के आधार पर गांवों का चयन नहीं हुआ। बल्कि अन्य मानक जैसे ` 2200.00 प्रति परिवार लागत वितरण को देखते हुए पूरे राजस्व गांव का चयन किया गया। लोगों ने बताया कि स्वजल के द्वारा लोगों में पानी को मौद्रिक मूल्य के रूप में देखने की आदत डाली गयी। कुछ गॉवों में पानी से अधिक प्राथमिकता देखी गयी। लोगों से प्रति माह संचालन व रख–रखाव हेतु मिलने वाले टैरिफ तक ही VWSC अध्यक्ष द्वारा योजना सेलगाव की बात कही गयी।

2. संसाधन आंकलनः– ऐसा देखने में आया कि कतिपय स्थानों पर यह प्रकिया पूर्णतः गैर सहभागी रही और यहॉ तक कि ग्रामवासियों को इसकी जानकारी नहीं थी। स्रोत के बारे में भी जानकारी गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा बताया गया। हालांकि वे भी संसाधन आंकलन की प्रक्रिया से परिचित नहीं थी। एन0जी0ओ0 और डी0पी0एम0यू0 के इंजीनियर द्वारा यह किया गया। स्रोत के बहाव का विभिन्न सीजन में मापन न होना तथा किचन गॉर्डन की सिंचाई एवं पशुधन द्वारा पानी के प्रयोग के बारे में आंकलन में नहीं लिया गया। इससे ही कही न कही स्रोतों का आवश्यकता से अधिक दोहन हुआ तथा इसने स्रोतों की सततता को भी गम्भीर रूप से प्रभावित किया।

3. समताः जल का अधिकारः– कतिपय स्थानों पर लोगों द्वारा गांव में समानता की स्थिति न होने का उल्लेख किया तथा बताया कि गांव में कुछ प्रभावशाली पुरूष तथा महिलाएं हावी रहती है। WWSC की निर्णय प्रकिया कुल मिलाकर सामाजिक सहभागिता बहुत कम है। इसके कुछ प्रमुख कारण है। (1) सहभागिता करने की आवश्यकता नहीं समझना या इससे योजना के सतत होने के तथा तथ्य से अनजान रहना (2)VWSC अध्यक्ष की निष्क्रियता या अनिच्छा (3) जलापूर्ति में खामी से प्रोत्साहन की कमी।

4. तकनीकीः– पर्वतीय क्षेत्रो के अनुकुल अधिकांश स्थानों पर गुरूत्व आधारित योनाएं बनायी गयी। स्रोत पर जल के दोहन तथा कैचमेंट एरिया में संरक्षण या भू–जल रिचार्ज उपायों का अभाव इस कार्यक्रम की बहुत बडी खामी थी। जन समुदाय इनसे अनभिज्ञ था। कहीं–कहीं पर इसके स्रोत तथा नजदीकी क्षेत्रामें वनस्पति एवं फसलों का क्षरण भी हुआ। O&M टैरिफ का संग्रहण एवं इसकी मात्रा की योजना की सततता बाये रखने की दृष्टि में बहुत कम था।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

5. संस्थागत तंत्रः– वर्तमान संस्थागत तंत्र के परीक्षण हेतु विकेन्द्रीकरण, व्यवस्थाओं की सरलता, पारदर्शिता, सामजिक सहभागिता, विवाद निवारण तंत्र में लागत दक्षता, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और वित्तीय संसाधन जैसे मानकों को लिया गया। यद्यपि स्वजल पूर्व के समय में इन मानकों को ज्यादा सही पाया गया। यह पाया गया कि स्वजल पूर्व की व्यवस्था/तंत्र अधिक विकेन्द्रीकृत, सरल और पारदर्शी थी, जिससे अधिक सामाजिक सहभागिता थी। स्वजल के अंतर्गत व्यवस्थाएं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर थी और मानवीय या सामजिक संसाधनों और संबंधों पर कम थी। इसी प्रकार VWSC या तो निष्क्रिय थी या इसके निर्णय गैर बाध्यकारी थे। समुदाय में इसके स्वामित्व की भावना के चलते कोई योजना की सततता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। योजना के विस्तृत विवरण जैसे पाईप लाईन की लम्बाई, प्रस्तावित संरचनाओं के अभाव, महिलाओं के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण इत्यादि भी बोर्ड में सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध नहीं थी।

6. विवाद निवारण तंत्रः– इसके अंतर्गत गॉव के भीतर तथा गॉवों के बीच भी बहुत सारे विवाद हुए स्वजल परियोजना की खामी रही कि इसके अंतर्गत विवाद सुलझाने का तंत्र नहीं बनाया गया। प्रमुख विवाद जो सामने आए वे थे– जल बंटवारा पर विवाद, स्रोत के उपयोग एवं स्वामित्व पर विवाद, बाहरी तत्वों द्वारा उत्पन्न व्यवधान तथा स्टैंड पोस्ट के उपयोग संबंधी। कार्यक्रम से पूर्व विभिन्न पक्षों के बीच आपसी समझौते एवं व्यवस्थाओं पर चर्चा नहीं की गयी।

7. महिलाओं की भूमिकाः– स्वजल परियोजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण था। परंतु इस उद्देश्य में सफलता का आंकलन बहुत कठिन है। स्वयं सहायता समूह, VWSC पर एक दबाव समूह के रूप में कार्य कर इसे सक्रिय रखना तथा यदि VWSC निष्क्रिय हो गयी, तो SHG पूरे स्वीकृत को चलाएगी। तकनीकी पहलू के बारे में महिलाओं में जागरूकता का अभाव होने का कारण प्रारम्भ से ही उन्हें निर्णय प्रकिया से दूर रखना रहा। VWSC में महिला प्रतिनिधि होने के बावजूद वे निर्णय प्रकिया में शामिल नहीं रही। SHGकी भूमिका अधिकांश स्वजल गांवों में बचत एवं जमा तक सीमित रही। प्रशिक्षण औपचारिकतावश और अधिकांशतः गुणवत्ता सहित होने के चलने भविष्य में उन्हें किसी उपयोग के नहीं थे।

8. अंतर सैक्टोरल समायोजनः– स्वजल के अंतर्गत संसाधन–आंकलन के लिए अंतर सैक्टोरल उपयोग और समायोजन पर विचार नहीं किया गया। स्वजल के अंतर्गत उपलब्ध जल के पशुधन, सूक्ष्म सिंचाई, किचन गॉर्डन और क्षेत्रीय सिंचाई जैसे उपयोग को गणना में नहीं लिया गया। कुछ क्षेत्र में ब्रेक प्रेशर टैंकों(BPIs) के प्रयोग के चलते पानी का अपव्यय अधिक हुआ, जिससे कृषि को नुकसान पहुँचा।

9. पारिस्थितिक सततताः– किसी भी परियोजना की प्राथमिकता या प्रभाव का आंकलन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को यह देखना होगा कि इसने जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन संबंधी आयामों को कितना प्रभावित किया। यदि इनमें से कोई पहलू किसी अन्य पहलू की कीमत पर हासिल किया गया, तब प्रोजेक्ट अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं करेगा।
स्वजल का प्रमुख उद्देश्य समुदाय को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, जिसके चलते पूरे तंत्र में एक असंतुलन पैदा हुआ।
10वें पंचवर्षीय योजना के निर्देशक तत्वों में जलापूर्ति योजनाओं को वाटरशेड, विकास कार्यक्रमों से जोड़ने की बात कही गयी ताकि योजनाएं सतत रूप से संचालित रहें परन्तु इस परियोजना में इसका अनुपालन नहीं किया गया।
स्वजल द्वारा मूल्यांकनः– स्वजल कार्यक्रम के कियान्वयन के दौरान, जिला इकाईयों द्वारा एक सततता मूल्यांकन अभ्यास की प्रकिया अपनाई, जिसमें प्रमुख मानक थे–

1. जलापूर्ति संरचनाओं की स्थिति।
2. स्रोत डिस्चार्ज।
3. क्लोरीनीकरण की स्थिति।
4. O&M टैरिफ संग्रहण।
5. शौचालय कवरेज।
6. VWSC के कियाकलाप।
7. स्वस्थ्य गृह सर्वे संचालन।
8. SHG की स्थिति।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 5, June 2023

9. सामान्य प्रेक्षण।

HSV :– उच्च सतत गॉव
MSV :– मध्यम सतत गॉव
LSV :– निम्नतम सतत गॉव

परन्तु कुमाऊॅ क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण में अनेक कमियॉ पायी गयी। शुरूवात में इन्हें में LSV दर्शाया गया। परन्तु अंतिम रिपोर्ट में HSV दर्शाया गया। पायी गयी कमियॉ इस प्रकार थीः–

1. योजना के भुगतान के विवाद।
2. क्लारीनेशन एक लम्बे समय तक न होना।
3. कही कही पर पाईप लाईन टूटने से स्टैंडपोस्ट में प्रदूषित पानी आना।
4. VWSC चैयरमैन का O&M गतिविधियों का अनिच्छुक होना।
5. कोई O&M टैरिफ का संग्रहण नहीं होना।
6. SHG निष्क्रिय।
7. बिलों का बढ़ाकर प्रस्तुत करनाज्ञ।
8. ग्रामीण सामुदाय द्वारा NGO तथा VWSC पर धनराशि के दुरूपयोग का आरोप लगाना।
9. स्रोत का क्षय की ओर बढ़ना।

संदर्भः

1. उत्तरांचल में पेयजल की समान और सतत पहुॅच के लिए विभिन्न उपागमों का मूल्यांकन (वर्ष 2003) डवलपमेंटर सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पॉलिसीज (योजना आयोग द्वारा प्रायोजित)।
2. उत्तराखण्ड़ ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता सैक्टर कार्यक्रम– अरूण डोभाल (स्वजल, उत्तराखण्ड़)।